मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 09/07/2018

क्रमांक: एफ 5-21/2017/अ-तेहत्तर : राज्य शासन एतद द्वारा मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2017 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते है:-

1. योजना के बिन्दु क्रमांक 6.1 के निम्न प्रावधान को:-

"उक्त कण्डिका (i) एवं (ii) में उल्लेखित क्षेत्रों में राज्य शासन अथवा उसके उपक्रम द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटित की गई शासकीय भूमि में स्थापित इकाईयों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता होगी।"

नीचे दर्शित प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"उक्त कण्डिका (i) एवं (ii) में उल्लेखित क्षेत्रों में राज्य शासन अथवा उसके उपक्रम द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटित की गई शासकीय भूमि और मास्टर प्लान में उद्योगो हेतु आरक्षित भूमि में स्थापित इकाईयों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता होगी।"

2. योजना के बिन्दु क्रमांक 7.1 के अंत में निम्न प्रावधान को जोड़ा जाता है :-

"उक्त अधोसंरचना के विकास के पूर्व उद्योग आयुक्त अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।"

3. योजना के बिंदु क्रमांक 7.4 के अंत में निम्न प्रावधान को जोड़ा जाता है:-

"(iv) उद्योग आयुक्त द्वारा प्रदत्त अनुमति की छायाप्रति"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(धनंजय सिंह)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5-21/2017/अ-तेहत्तर, भोपाल,दिनांक 09 /07/2018

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ... (समस्त विभाग)।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
4. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. भोपाल।
8. संभागायुक्त (राजस्व), समस्त, मध्यप्रदेश
9. कलेक्टर, समस्त, मध्यप्रदेश
10. नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त परिपत्र को आगामी राजपत्र में प्रकाशित करवाकर उसकी 25 प्रतियॉ इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग